उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 रामबाबू यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के उमरई मोड़ से उमरई जाने वाले मार्ग के पास से अवैध शराब लिये 01 नफर अभियुक्त सुनील अहिरवार पुत्र स्व0 शंकर अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम तेईया थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक बोरी में 18 क्वार्टर झूम ब्राण्ड अवैध देशी शराब बरामद की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 147/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील अहिरवार पुत्र स्व0 शंकर अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम तेईया थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी- एक बोरी में 18 क्वार्टर झूम ब्राण्ड अवैध देशी शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रामबाबू यादव थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने
02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुरेश कुमार सचान मय हमराह हे0का0 मो0 हक व म0का0 प्रियंका यादव ने मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मौदहा द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.रामेश्वर पुत्र बड़े धोबी उम्र करीब 70 वर्ष 2.शिवप्यारी पत्नी छोटा उम्र करीब 65 वर्ष नि0गण ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 922/06 मु0अ0स0 09/03 धारा 323/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त को हिरासत पुलिस लिया गया था अग्रिम कार्यवाही करते हुए वारण्टीगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण –

1. रामेश्वर पुत्र बड़े धोबी उम्र करीब 70 वर्ष
2. शिवप्यारी पत्नी छोटा उम्र करीब 65 वर्ष

नि0गण ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान
2. हे0का0 मो0 हक
3. म0का0 प्रियंका यादव

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने

01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव व उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानास्थानीय में पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 136/2025 धारा 75(2)/351(3)/65(1)/127(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त लल्लूराम कुशवाहा पुत्र जयपाल कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मझोल थाना चरखारी जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के बस स्टैण्ड यात्री प्रतीक्षालय ग्राम दिदवारा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गया, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लल्लूराम कुशवाहा पुत्र जयपाल कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मझोल थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत
“परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी के सदस्यों ने
01 परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांकः- 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 04 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया, जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0कां0 रेखा देवी सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्रीमती नीतू पालीवाल, श्री रामजी गुप्ता, श्रीमती अंशू शिवहरे आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

जनपद महोबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई –

फर्जी रॉयल्टी गिरोह का भंडाफोड़, तीन जालसाज गिरफ्तार, भारी मात्रा में फर्जी रॉयल्टी, नकदी एवं सामग्री बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस ने अवैध खनन एवं फर्जी रॉयल्टी प्रकरण में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी रॉयल्टी प्रपत्र, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदेश सरकार को हो रही राजस्व क्षति पर रोक लगी है।

प्रकरण का खुलासा-

खनिज विभाग की अधिकृत वेबसाइट upmines.updsc.gov.in के नाम से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट https://www.upmines-upsdc.gov.ink बनाकर लंबे समय से अवैध e-Transit Pass जारी किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर कराई गई जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि उक्त वेबसाइट फर्जी है और इसके माध्यम से राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई जा रही थी। इस संबंध में थाना कबरई पर मु0अ0सं0 246/2025 धारा 305/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2)/3(5) बीएनएस तथा थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 373/25 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उक्त फर्जी रॉयल्टी प्रकरण का भंडाफोड़ किये जाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा की थाना कबरई, जनपदीय स्वॉट/सर्विलांश तथा साइबर थाने की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

अपराध का तरीका-

अभियुक्तगणों द्वारा पट्टाधारक के आई.डी. पासवर्ड एवं सिक्योरिटी पेपर मुनीमों से साठगाठ कर प्राप्त कर खनन विभाग की साइट से बारकोड स्कैन कर लिंक प्राप्त कर उसमें छेडछाड कर फर्जी रोयल्टी पेपर तैयार करते थे तथा उनको ठेकेदारों एवं बिचौलियों के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं में बिल भुगतान के लिए प्रयोग करते थे, साथ ही खनन विभाग से मिलती जुलती फर्जी साइट बनाकर उसपर गाडी नम्बर उनकी फोटो व अन्य सूचनाएं भरकर अपलोड की जाती थी तथा बारकोड जनरेट कर फर्जी रोयल्टी तैयार की जा रही थी। जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति हो रही थी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तारी-

आज दिनांक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम (थाना कबरई, स्वॉट, सर्विलांस व साइबर थाना) द्वारा दबिश देकर तीन अभियुक्तों को चन्द्रावल रोड शमसान घाट के पास, थाना कबरई, जनपद महोबा के पास से गिरफ्तार किया है–

1. विजय सैनी पुत्र बाबू उर्फ बालमुकुन्द सैनी (उम्र 24 वर्ष), नि. ग्राम सुरहा थाना कबरई, हाल मुकाम विशाल नगर, कबरई।
2. बिन्दादीन कुशवाहा पुत्र जगप्रसाद कुशवाहा (उम्र 23 वर्ष), नि. विशाल नगर, मकान नं. 298, चन्द्रावल रोड, कबरई।
3. विकास राजौलिया पुत्र रामप्रताप राजौलिया (उम्र 26 वर्ष), नि. चन्द्रावल रोड, विशाल नगर, कबरई।

वांछित अभियुक्तगण-

उक्त फर्जी रायल्टी गिरोह से सम्बन्धित 06 नफर वांछित हैं, जिनकी तलाश हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी:-

- 1206 बिना प्रिन्टेड रोयल्टी सिक्योरिटी पेपर / (खनिज परिवहन प्रपत्र)
- 21 अदद जाली / फर्जी प्रिन्टेड रोयाल्टी सिक्योरिटी पेपर
- 1532 फर्जी/ जाली रोयाल्टी
- 01 अदद लैपटाप मय चार्जर
- 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल
- 01 अदद प्रिन्टर
- 01 लाख 10 हजार रु0 नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना कबरई पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कबरई, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2.व0उ0नि0 मलखान सिंह 3.उ0नि0 अभिनव सिंह
4.म0उ0नि0 शिल्पी राजपूत
5. कां0 धर्मेन्द्र कुमार 6. कां0 राहुल अग्निहोत्री

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांश पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह प्रभारी स्वॉट/सर्विलांश टीम
2. उ0नि0 विवेक यादव
3. कां0 दीपक वर्मा 4. कां0 रंजीत सिंह 5. कां0 आशीष बघेल
6. कां0 सत्यम सिंह जादौन 7. कां0 अभिषेक दुबे

साइबर थाना पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री फहीम अख्तर प्रभारी साइबर थाना जनपद महोबा मय साइबर थाना टीम

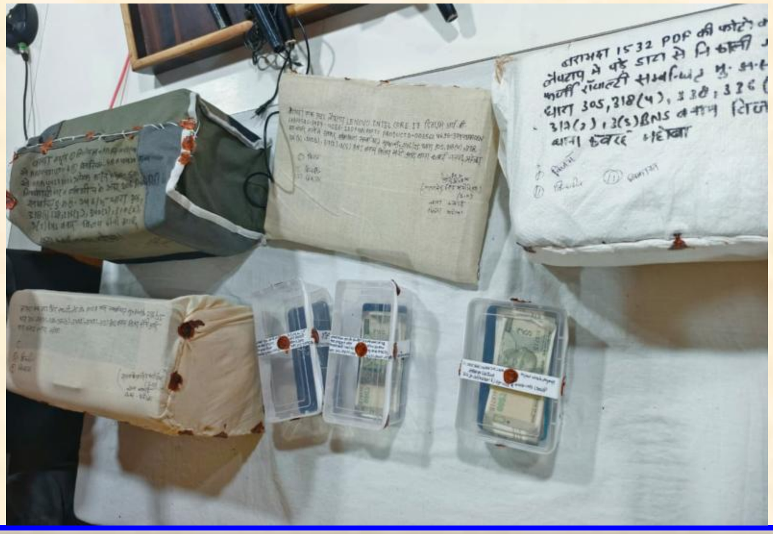

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"पुलिस की पाठशाला" में स्कूली छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सशक्तिकरण व साइबर अपराध के बारे में किया गया जागरुक-

आज दिनांक 28.08.2025 को राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला के तत्वाधान में थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, चरखारी में "पुलिस की पाठशाला" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत "पुलिस की पाठशाला" कार्यक्रम के माध्यम से छात्र/छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सशक्तिकरण अभियान, साइबर सुरक्षा और NCRP पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को पुलिस सहायता के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जैसे 112 (पुलिस सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) और 102 (एम्बुलेंस सेवा) आदि हेल्पलाइन नंबरों व पुलिस सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें आत्मविश्वास के साथ समाज में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया।

यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, सुरक्षा और जनविश्वास की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ, जिसे सभी उपस्थित छात्राओं व शिक्षकों द्वारा अत्यंत सराहा गया।